Regd. No. CHD/0093/2015–2017

# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 164–2017/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2017
(20 भाद्र, 1939 शक)

**विधायी परिशिष्ट**


| क्रमांक | विषय वस्तु | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| **भाग I** | **अधिनियम** | | |
| | 1. | गुरूग्राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17) | 381–404 |
| | 2. | वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2017(2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18). | 405–406 |
| | 3. | भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24). (केवल हिन्दी में) | 407 |
| **भाग II** | **अध्यादेश** | | |
| | कुछ नहीं | | |
| **भाग III** | **प्रत्यायोजित विधान** | | |
| | कुछ नहीं | | |
| **भाग IV** | **शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | | |
| | कुछ नहीं। | | |

**भाग–I**

**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 12 सितम्बर, 2017

**संख्या लैज. 17/2017.–** गुरूग्राम यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम सितम्बर, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

**2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17**

**गुरूग्राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017**

**सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी, प्रबन्धन अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में विशेष महत्व सहित उच्चतर शिक्षा को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए तथा इनमें और संबंधित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए गुरूग्राम में अध्यापन एवं सम्बन्धक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने हेतु**

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1.** (1) यह अधिनियम गुरूग्राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2.** इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''महाविद्यालय'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;

(ख) ''कर्मचारी'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य अमला भी शामिल है;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त महाविद्यालय न होते हुए, कोई शैक्षणिक संस्था;

(ङ) ''प्रधानाचार्य'' से अभिप्राय है, किसी महाविद्यालय या संस्था का अध्यक्ष तथा इसमें शामिल है, जब कोई प्रधानाचार्य नहीं है, तो ऐसे रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप–प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्य या उप–प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(च) ''मान्यताप्राप्त अध्यापक'' से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है;

(छ) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' तथा ''विनियमों'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(ज) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित गुरूग्राम विश्वविद्यालय; तथा

(झ) ''विश्वविद्यालय अध्यापक'' से अभिप्राय है, आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाए तथा अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया गया है।

निगमन ।

**3.** (1) कुलाधिपति, कुलपति, संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे अधिकारियों अथवा सदस्यों के रूप में बनें या नियुक्त किए जाएं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहें, से मिलकर गुरूग्राम विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय होगा।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा ।

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग।

**4.** (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु विभिन्न संकायों के लिए विभिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा अनुमति प्राप्त समझा जायेगा तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त नहीं रहेगा तथा भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों के लिये भिन्न–भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं :

परन्तु–

(i) उक्त तिथि से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय का कोई विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि–पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अवधि, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा; तथा

(ii) कोई ऐसा विद्यार्थी, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि–पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है ।

अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियों, उपाधि–पत्रों या प्रमाण–पत्रों को प्रदत्त करने, अनुदत्त करने या जारी करने पर वर्जन।

**5.** (1) इस अधिनियम तथा उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी व्यक्ति या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उसको सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा/करेगी, या स्वयं को कोई ऐसी उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदारी प्रकट नहीं करेगा/करेगी, जो उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती–जुलती नकल का हो ।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन अपराध होगा ।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो वहां अपराध किए जाने के समय, संस्था के कार्य के संचालन के लिए इसका कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा ।

(4) उप–धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा ।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजन के लिए ''संस्था'' से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें शामिल है कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य।

**6.** विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे में अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए व्यवस्था करना, तथा विद्या और ज्ञान के प्रसार के अभिवर्धन के लिए ऐसे कदम उठाना जो वह आवश्यक समझता है ;

(ख) परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों, जो परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों में अधिकथित किए जाएं, को ऐसी उपाधियां, उपाधि–पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या मानोपाधियां प्रदान करना;

(ग) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में अधिकथित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां अथवा अन्य विशेष उपाधियां प्रदत्त करना;

(घ) पुरस्कार, पदक, अनुसंधान, अध्ययन–वृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियां तथा अध्येता–वृत्तियां संस्थित करना;

(ड.) सरकार से उपहार, दान या धर्मदान प्राप्त करना तथा अंतरकों, दाताओं, वसीयतकर्ताओं, जैसी भी स्थिति हो, से चल या अचल सम्पति के उपहार, दान तथा अन्तरण प्राप्त करना; और विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए इस प्रकार प्राप्त दानों से ऐसे कायिक निधि का सृजन करना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह–आचार्य पद, सहायक आचार्य पद संस्थित करना और किसी किस्म के अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्ति नियुक्त करना;

(छ) भारत तथा विदेश में, विश्वविद्यालय के समान उद्‌देश्य रखने वाली उन शिक्षा संबंधी तथा अन्य संस्थाओं को ऐसी रीति में सहयोग देना जो उनके सामूहिक लक्ष्यों में सहायक हों;

(ज) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हों, के लिए पत्राचार शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्‌यक्रमों सहित शिक्षण की व्यवस्था करना, जो वह अवधारित करे;

(झ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(ञ) धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अवस्थित या, उस धारा की उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन इसके विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्अनुरक्षित महाविद्यालय, किन्तु उक्त क्षेत्र के भीतर अवस्थित महाविद्यालयों का अनुरक्षण करना तथा उसे वापस लेना;

(ट) किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में घोषित करना;

(ठ) सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(ड) विश्वविद्यालय के तथा विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना;

(ढ) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी सम्पति की कार्यवाही, ऐसी रीति जो विश्वविद्यालय अपने उद्‌देश्यों को बढ़ावा देने के लिए ठीक समझे, में करना;

(ण) अल्प तथा दीर्घकालिक दोनों के आधार पर, विषयों, विशेष क्षेत्रों, शिक्षा स्तरों तथा मानव शक्ति के प्रशिक्षण के अनुसार राज्य तथा देश की जरूरतों का मूल्यांकन करना तथा उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना;

(त) विद्या की ऐसी शाखाओं, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में प्रवृत्तियों के गहन ज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा उच्च अध्ययनों को आयोजित करना;

(थ) ऐसे अनुसंधान, रूपांकन (डिज़ाइन) तथा विकासात्मक क्रियाकलापों को उन्नत करना जो सामाजिक जरूरतों तथा राज्य के विकास कार्यक्रमों से संबंध रखते हों;

(द) पूरक सुविधाएं देने के लिए उद्योगों तथा सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय प्रारम्भ करना;

(ध) ज्ञान देने, प्रशिक्षण का आयोजन करने तथा पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा संबंधी सामग्रियों को तैयार करने में निरन्तर प्रयोग का प्रबंध करना;

(न) शिक्षात्मक उपायों में विषयों के निरन्तर मूल्यांकन तथा पुनः अनुकूलन के उत्तरोत्तर प्रवेश के लिए प्रबंध करना;

(प) अपने विद्यार्थियों में उद्यम संबंधी योग्यता को बढ़ावा देना;

(फ) विद्या की प्रगति तथा ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यकता तथा अवसरों के बारे में जनता को शिक्षित करना;

(ब) महिला विद्यार्थियों तथा समाज के ऐसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(भ) पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए परिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम बनाने तथा उन्हें परिवर्तित, उपातंरित या विखण्डित करने; और

(म) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, वर्गों, जातियों तथा पंथों के लिए खुला होना ।

**7.** विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाए बिना सभी के लिए खुला होगा तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मकारों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य संबंध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई भी परीक्षा थोपी नहीं जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी और ऐसा कोई भी दान स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबंध के भाव तथा उद्देश्यों के विपरीत शर्तें अथवा बाध्यताएं आती हों:

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के बारे में कोई विशेष उपबंध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी।

विश्वविद्यालय का अध्यापन।

**8.** विश्वविद्यालय में सारा अध्यापन, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम पर इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जाएगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

**9.** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) कुल–सचिव (रजिस्ट्रार); और

(iv) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति ।

**10.** (1) हरियाणा के राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे ।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा ।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे–

(i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित करवाई गई परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना; और

(ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के वित्त प्रबन्धन से संबंधित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में की जाने वाली जांच करवाना ।

(5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराए जाने वाले निरीक्षण या की जाने वाली जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच, जो उप–धारा (4) में निर्दिष्ट है, करवा सकता है।

(7) जहां कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाला कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किए जाने का अधिकार होगा ।

(8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था के बारे में निरीक्षण या जांच की गई है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के संदर्भ में, कुलपति को संबोधित करेगा, और कुलपति, कुलाधिपति के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपति द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार उस पर की जाने वाली कार्रवाई कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

(9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुलपति के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष पर करने का प्रस्ताव करती है या कर चुकी है, संसूचित करेगी ।

(10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करती, तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी ।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकता है, जो उसकी राय में, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाये, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दिया गया है, तो वह उस पर विचार करेगा ।

(12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है ।

(13) उप–धारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी ।

(14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो उसके विरूद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में कार्य परिषद् या कुलपति के निर्णय से व्यथित हो, कुलाधिपति को अभ्यावेदन ऐसी रीति में संबोधित कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें ।

**11.** (1) कुलपति केवल शैक्षणिक तर्कों पर नियुक्त किया जायेगा। वह ऐसे वचनबद्ध मूल्यों जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित है तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक सक्षमता तथा नैतिक महत्ता द्वारा विश्वविद्यालय को नेतृत्व उपलब्ध करवाने की योग्यता रखने वाला कोई विख्यात शिक्षाविद् होगा । कुलपति ।

(2) सरकार, कुलाधिपति के एक नामनिर्दिष्ट तथा कार्य परिषद् के दो नामनिर्दिष्टियों को मिलाकर कोई चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(3) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति पाया जाता है ।

(4) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा अथवा पद पर बना नहीं रहेगा ।

(5) यदि कुलपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थाई अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, जब तक वर्तमान कुलपति अपना पद पुनः ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो जाता है, या जब तक कोई नियमित कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, कुलाधिपति, कुलपति के कर्तव्यों को करने के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकता है।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को लागू करेगा ।

(7) कुलपति, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति को अन्तर्वलित करने वाले मामले, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाए जाने वाले मामले के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त की गई किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपति कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकता :

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, उसे ऐसी कार्रवाई पर निर्णय की संसूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपांतरित कर सकती है या उल्ट सकती है । कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि कार्रवाई आपात् शक्तियों के अधीन की गई है।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

कुल–सचिव ।

**12.** (1) कुल–सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुल–सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा । वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

प्रथम कुलपति और प्रथम कुल–सचिव की नियुक्ति।

**13.** इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति और प्रथम कुल–सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समुचित समझा जाए।

अन्य अधिकारी ।

**14.** विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं ।

अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन ।

**15.** इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई अध्यापन और अध्यापनेत्तर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

**16.** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:–

(i) संसद;

(ii) कार्य परिषद्;

(iii) शिक्षा परिषद;

(iv) वित्त समिति;

(v) संकाय;

(vi) शिक्षा योजना बोर्ड; और

(vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं।

**17.** (1) संसद का गठन तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी । संसद ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का, समय–समय पर, पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाधिपति को किसी भी ऐसे मामले के बारे में परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

**18.** (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा । कार्य परिषद् ।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

**19.** (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगा तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा । शिक्षा परिषद् ।

(2) शिक्षा परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

**20.** संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं । संकाय ।

**21.** वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। वित्त समिति ।

**22.** शिक्षा योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं । शिक्षा योजना बोर्ड ।

**23.** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:– परिनियम तथा उनका क्षेत्र ।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय–समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिए उपबंध शामिल हैं;

(घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त करना;

(ड.) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियां, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;

(छ) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;

(ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों की अनुमति दी जा सकती है तथा उन्हें वापिस लिया जा सकता है;

(झ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(ञ) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं।

24. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो अनुसूची में दिए गए हैं: परिनियम कैसे बनाएं ।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व बनाए गए परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कर्तव्यों का पालन तब तक करते रहेंगे जब तक ऐसे प्राधिकरण ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची में बनाए गए परिनियमों के अनुसार गठित नहीं किए जाते हैं।

(2) सरकार या कार्य परिषद्, समय–समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या इस धारा में, इसके बाद, उपबंधित रीति में, परिनियमों को संशोधित अथवा निरसित कर सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसीयत, शक्तियां या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद को शैक्षणिक विषयों से संबंधित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिए प्रस्तावित कर सकती है ।

(4) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा किसी परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार करने के लिए इसे लौटा सकता है । सरकार या कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम की तब तक विधिमान्यता नहीं होगी जब तक इसे कुलाधिपति द्वारा सहमति न दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उप–धाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्ररेणा से या सरकार के परामर्श पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसन करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी अक्षमता के लिए संसूचित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है ।

अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र ।

**25.** इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला तथा उनका ऐसे रूप में पंजीयन ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि–पत्रों के लिए दाखिला तथा आगे फीस ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि पाठ्यक्रम सम्भव सीमा तक स्वतः वित्तपोषण हो सके;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा उपाधि–पत्र या अन्य पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि–पत्रों के लिए पात्रता;

(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, उपाधि–पत्रों तथा अन्य पाठ्यक्मों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें तथा आगे फीस के ढांचे को उत्तरोतर इस प्रकार लचीला बनाना कि संभव सीमा तक पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सकें;

(ड.) अध्येता–वृत्तियां, छात्र–वृत्तियां, छात्र–सहायता वृतियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें; तथा

(ज) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं ।

अध्यादेश कैसे बनाएं।

**26.** (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाए, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जायेंगे:

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यादेश–

(i) जो विद्यार्थियों के दाखिले या उनके पंजीयन को अथवा विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिए जाने को प्रभावित करने वाला हो; और

(ii) जो परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या कर्तव्यों या परीक्षाओं अथवा किन्हीं अध्ययन पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो, तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(2) कार्य परिषद् उपधारा (1) के अधीन शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को, अपने सुझावों सहित, या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्विचार के लिए शिक्षा परिषद् को लौटा सकती है:

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी । तथापि, वह ऐसे प्रारूप को, जब उसे शिक्षा परिषद् द्वारा दूसरी बार इसे प्रस्तुत किया जाये, अस्वीकार कर सकती है, यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता।

(3) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे, जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को, यथाशीघ्र, संसूचित किया जाएगा।

**27.** (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो– विनियम ।

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेंगे; और

(ख) ऐसे सभी मामले उपबंधित करेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबंध करने वाले विनियम बनाएगा ।

**28.** विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी और संसद को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी और संसद अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी । वार्षिक रिपोर्ट ।

**29.** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा अधिक से अधिक पन्द्रह मास के अन्तरालों पर निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा–परीक्षक, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा लेखा–परीक्षित किया जाएगा। वार्षिक लेखे, लेखा–परीक्षित किए जाने पर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और वार्षिक लेखों की प्रति निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा अथवा लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट सहित, संसद तथा कुलाधिपति को कार्य परिषद् की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी संसद के ध्यान में लाई जाएगी तथा संसद की टिप्पणियां, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी । वार्षिक लेखे ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय सरकार को भी प्रस्तुत किए जाएंगे ।

**30.** (1) कुलपति के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायगी तथा विश्वविद्यालय और किन्हीं अधिकारियों या अध्यापकों के बीच संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद संबंधित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर माध्यस्थम् अधिकरण जो कार्य परिष्द द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपति का एक नामनिर्देशिती को मिलाकर बने, को निर्दिष्ट किया जाएगा । अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णीत विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा । अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें ।

(2) प्रत्येक ऐसा अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए निवेदन के रूप में समझा जाएगा ।

पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निधि ।

**31.** (1) विश्वविद्यालय, जैसा वह उचित समझे, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी पेंशन, भविष्य निधि तथा बीमा निधि संस्थित करेगा ।

(2) जहां कोई भविष्य निधि और बीमा निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के उपबंध इसको ऐसे लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य निधि थी ।

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

**32.** इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी–

(क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता ।

कतिपय विवादों का कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना ।

**33.** यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

**34.** यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की पहली बैठक के संबंध में, या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रथम बार प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, किसी भी समय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन किए जाने से पहले, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या ऐसी कोई बात कर सकती है जो इस अध्यादेश के उपबंधों से, जहां तक हो सके, संगत हो, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और प्रत्येक ऐसा आदेश, उसी प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई इस अधिनियम में उपबंधित रीति में की गई थी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

**35.** विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी ।

# अनुसूची

(गुरूग्राम विश्वविद्यालय के परिनियम)

*(देखिये धारा 24)*

**1.** (i) कुलपति, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधियां प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोहों और संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वहां पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

(ii) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी पालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

(iii) कुलपति को संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

(iv) कुलपति, विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को कार्यरूप देगा।

(v) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों में नाम–निर्देशन के लिये वरिष्ठता के बारे में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

**2.** (i) कुल–सचिव, कार्य परिषद् तथा संकायों का पदेन सचिव होगा किन्तु इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जायेगा, और वह संसद और शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य–सचिव होगा । कुल–सचिव।

(ii) जब कुल–सचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुल–सचिव बीमारी के कारण, अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियमित नियुक्ति न की जाये, पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये अस्थाई रुप से नियुक्त करे :

(iii) कुल–सचिव का कर्तव्य होगा कि वह –

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कुलपति उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होगा ;

(ख) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की बैठकें बुलाने के सभी नोटिस जारी करेगा ;

(ग) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा ;

(घ) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा संकायों के शासकीय पत्र–व्यवहार का संचालन करेगा;

(ङ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त की प्रतियां, उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजेगा ; तथा

(च) ऐसे अन्य कर्तव्य जो कुलपति द्वारा, समय–समय पर, उसे सौंपे जायें, का पालन करेगा ।

(iv) कुल–सचिव को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा शैक्षणिक अमले, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देने या परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतनवृद्धियां रोकने तथा लंबित जांच के दौरान उन्हें निलम्बित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(v) खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये कुल–सचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(vi) यदि जांच से प्रकट होता है कि दण्ड कुल–सचिव की शक्तियों से परे का है, तो कुल–सचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों सहित कुलपति को रिपोर्ट करेगा :

परन्तु कुलपति के किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

(vii) कुल–सचिव विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होगा और ऐसी हैसियत में कार्य करेगा जब विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरण द्वारा मामले में निर्णय ले लिया गया हो। कुल–सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी।

**3.** विश्वविद्यालय की सेवा में निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में भी घोषित किया जाता है, अर्थात् :–

(क) कुलानुशासक (प्रॉक्टर) ;

(ख) मुख्य रक्षक (चीफ वार्डन) ;

(ग) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(घ) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;

(ङ) महाविद्यालयों का अध्यक्ष ;

(च) पुस्तकाध्यक्ष ;

(छ) परीक्षा नियंत्रक ; और

(ज) वित्त अधिकारी।

कुलानुशासक, मुख्य रक्षक, विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, अध्यक्ष शैक्षणिक मामले।

**4.** कुलानुशासक, मुख्य रक्षक, विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष तथा अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से, जो प्राचार्य की पदवी से नीचे के न हों, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, जैसा कि कुलपति कार्य परिषद् को सिफारिश करें, कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी :

परन्तु अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले की अवधि दो वर्ष की होगी जो कुलपति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा, यदि उचित समझे, दूसरे एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य होगी ।

महाविद्यालयों का अध्यक्ष।

**5.** महाविद्यालयों का अध्यक्ष, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति की सिफारिशों पर, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा, समय–समय पर, उसे सौंपे जाएं।

वित्त अधिकारी।

**6.** (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा चयन समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु ऐसी समिति के सदस्य के रुप में नहीं समझा जायेगा ।

(3) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य करने में असमर्थ हो, तो अधिकारी के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे ।

(4) वित्त अधिकारी–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय को इसकी वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श देगा; तथा

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(5) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी–

(क) न्यास तथा दान की गई सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेशों को धारण करेगा तथा प्रबन्ध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिये नियत सीमाओं से अधिक न हो तथा सभी धन उसी प्रयोजनार्थ खर्च किये जाएं जिनके लिये वे प्रदान अथवा आबंटित किए गए हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने और उन्हें कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकदी तथा बैंक बकायों की स्थिति पर और निवेश की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा;

(ड.) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा तथा नियोजित किए जाने वाले संग्रहण के ढंग पर मन्त्रणा देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री के स्टॉक निरीक्षण का संचालन किया जाये;

(छ) किसी अनधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिततायें कुलपति के ध्यान में लाएगा तथा उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देगा; तथा

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था से, कोई सूचना या विवरणी जो वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे, मंगवाएगा ।

(6) विश्वविद्यालय को भुगतानयोग्य किसी धन के लिए वित्त अधिकारी अथवा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिये पर्याप्त रूप से उन्मोचन होगी।

**7.** (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक।

(2) परीक्षा नियंत्रक का निम्नलिखित कर्तव्य होगा –

(क) परीक्षाओं का अनुशासनबद्ध और दक्षतापूर्ण रीति में संचालन करना ;

(ख) गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, प्रश्न–पत्र बनवाने की व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षा परिणामों के लिये योजनाबद्ध समय अनुसूची के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना ;

(घ) निष्पक्षता तथा विषयनिष्ठता के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से परीक्षा प्रणाली का निरन्तर पुनर्विलोकन करना ताकि इसे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिये बेहतर साधन बनाया जा सके ; तथा

(ङ) परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित ऐसा कृत्य करना, जो कुलपति द्वारा, समय–समय पर, उसे सौंपा जाये।

**8.** पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। पुस्तकाध्यक्ष।

**9.** (1) संसद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :– संसद तथा उसका गठन।

(क) पदेन सदस्य –

(i) कुलाधिपति ;

(ii) कुलपति ;

(iii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या सयुंक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(iv) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(v) महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक महाविद्यालय ;

(vi) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या उसका कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(vii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ;

(viii) संकायों के अध्यक्ष;

(ix) महाविद्यालयों के अध्यक्ष;

(x) कुल–सचिव ;

(xi) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(xii) परीक्षा नियंत्रक ;

(xiii) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;

(xiv) पुस्तकाध्यक्ष ; और

(xv) वित्त अधिकारी।

(ख) अन्य सदस्य –

(i) हरियाणा विधान सभा द्वारा इसके अपने सदस्यों में से चुने जाने वाले दो व्यक्ति ;

(ii) विश्वविद्यालय के आचार्य जो दस से अधिक न हों, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से ;

(iii) विश्वविद्यालय के सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य में से चुने जाने वाले पांच अध्यापक जिनमें से कम से कम दो सह–आचार्य होंगे ;

(iv) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त शिक्षण महाविद्यालयों से एक प्रधानाचार्य ज्येष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(v) कुलपति द्वारा सीमांकित किए जाने वाले चार जोनों से प्रत्येक में सम्मिलित शिक्षण महाविद्यालयों से भिन्न महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में अपने पद धारण करने वाले प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला एक प्रधानाचार्य ;

(vi) कुलपति द्वारा सीमांकित किए जाने वाले चार जोनों से प्रत्येक में सम्मिलित महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में अपने पद धारण करने वाले अध्यापकों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाले प्रधानाचार्यों से भिन्न चार अध्यापक :

परन्तु इस उप–खण्ड के अधीन एक से अधिक अध्यापक किसी एक महाविद्यालय से संबंधित नहीं होगा ;

(vii) निर्वाचन की तिथि से शैक्षिणक वर्ष की 31 मई तक की अवधि के लिए राज्य में गुरूग्राम विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन का सचिव तथा महाविद्यालयों की विद्यार्थी यूनियनों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाले दो सचिव ;

(viii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पन्द्रह प्रतिनिधि (विख्यात शिक्षाविदों में से दस तथा उद्योग, वाणिज्य, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी इत्यादि से पांच प्रतिनिधि) ;

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से एक, तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ; तथा

(x) गैर–सरकारी महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित दो व्यक्ति। प्रबन्धकों के प्रतिनिधि संबंधित प्रबंधकों के सदस्यों में से होंगे ।

(ग) कुल–सचिव संसद का सदस्य–सचिव होगा :

परन्तु समवर्गी संस्थाओं सहित विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक कर्मचारी उप–खंड (ii) से (vi) तथा (ix) के सिवाय किन्हीं पूर्ववर्ती उपखंडों के अधीन निर्वाचन या नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा तथा यह कि यदि उप–खंड (ii) से (vi) तथा (ix) के सिवाय पूर्ववर्ती किन्हीं उपखंडों के अधीन निर्वाचित अथवा/और नामांकित कोई व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय अथवा इसकी समवर्गी संस्थाओं में किसी वैतनिक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि उप–खंड (vii) के सिवाय कोई भी व्यक्ति जब तक उसने पच्चीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो नामांकन अथवा निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा ।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, संसद के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(3) संसद की सभी बैठकों में, गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी।

(4) यदि बैठक के नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित न हो, तो बैठक आयोजित नहीं की जाएगी तथा कुल–सचिव उस तथ्य का अभिलेख करेगा।

(5) निर्वाचन का ढंग मत पत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा तथा निर्वाचनों का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

**10.** (1) संसद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। संसद की बैठक।

(2) संसद की विशेष बैठक कुलाधिपति द्वारा, कुलपति अथवा उसके एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर, किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

**11.** (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :– कार्य परिषद् तथा उसका गठन।

I. पदेन सदस्य–

(i) कुलपति ;

(ii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(iii) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ; और

(iv) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

II. अन्य सदस्य –

(क) निम्नलिखित प्रवर्गों में से प्रत्येक से एक संकायों के पांच अध्यक्ष :–

(i) अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान संकाय तथा अध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय, चक्रानुक्रम से ;

(ii) अध्यक्ष, वाणिज्य तथा प्रबन्धन तथा सामाजिक विज्ञान संकाय, चक्रानुक्रम से ;

(iii) अध्यक्ष, मानविकी तथा विधि संकाय, चक्रानुक्रम से;

(iv) अध्यक्ष, इंडिक अध्ययन तथा शिक्षा संकाय, चक्रानुक्रम से ; और

(v) अध्यक्ष, इंजिनियरी तथा प्रौद्यागिकी और चिकित्सा विज्ञान, चक्रानुक्रम से;

Amended via Resolution no 06 of 23rd E.C. dated 19.08.2022; according to amendment in University Statute-18.

(ख) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;

(ग) महाविद्यालयों के दो प्राचार्य (संकायों के अध्यक्षों से अन्यथा), जिनमें से एक महिला महाविद्यालय से, आयु की वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(घ) संसद के सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला महाविद्यालय का एक अध्यापक (प्रधानाचार्य से अन्यथा) ;

(ड.) उपखण्ड (क) के अधीन अध्यक्षों से अन्यथा विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के आचार्यों में से एक, एक वर्ष के लिए वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(च) आचार्य से अन्यथा स्वयं में से चुने जाने वाले विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के दो अध्यापक, जिनमें से कम से कम एक सह–आचार्य होगा ; और

(छ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विख्यात शिक्षाविदों अथवा विख्यात सेवारत/सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों में से कुलाधिपति के नामनिर्देशिती के रुप में चार व्यक्ति ।

(2) कुल–सचिव कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा ।

(3) गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ।

(4) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

(5) कोई सदस्य जो अर्हता धारण करने से प्रविरत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह कार्य परिषद् के सदस्य के रुप में निर्वाचित या नामांकित किया गया था, तो वह कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

कार्य परिषद् का निर्णय ।

**12.** विश्वविद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों वाले तथा वार्षिक बजट से संबंधित मामलों में कार्य–परिषद् का कोई निर्णय केवल तभी लागू होगा जब ऐसा निर्णय लेते समय सरकार का कम से कम एक प्रतिनिधि उपस्थित हो तथा उसने ऐसे निर्णय की सहमति दे दी हो ।

कार्य परिषद् की शक्तियां।

**13.** कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा निधियों का धारण, नियन्त्रण तथा प्रशासन करना ;

(ख) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा परिलब्धियां अवधारित करना और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शैक्षणिक अमले और प्रधानाचार्यों के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें परिनिश्चित करना :

परन्तु अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले नए पद सृजन के मामले तभी लागू रहेंगे यदि सरकार के नीचे दिये गये अनुसार प्रतिनिधि :–

वित्त सचिव या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि ;

अथवा

सचिव, शिक्षा अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि, ऐसे निर्णय लेते समय उपस्थित है और ऐसे निर्णय की सहमति दे दी है:

परन्तु यह और कि यदि उचित नोटिस के बाद भी दो लगातार बैठकों में वित्त/उच्चतर शिक्षा विभाग से सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो कार्य परिषद् पद सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है :

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमले की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों के बारे में, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद कार्रवाई करेगी ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के आचार्यो, सह–आचार्य, सहायक आचार्य, अन्य शैक्षणिक अमले तथा प्रधानाचार्यों को इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना ;

(घ) प्रशासनिक, लिपिक–वर्गीय तथा अन्य पद सृजित करना और परिनियमों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना ;

(ड.) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ताओं (एजेंटों) को नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;

(च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे या समय–समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना ;

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;

(ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये निर्माण, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के लिये कोई सामान्य मुद्रा चुनना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल–सचिव या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यान्वित करना अथवा रद्द करना ;

(ठ) परिनियम बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना;

(ड) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्णय करना ; और

(ढ) विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हैं।

**14.** (1) शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :– शिक्षा परिषद् और उसका गठन।

I. (क) पदेन सदस्यः–

(i) कुलपति ;

(ii) महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा या संयुक्त निदेशक या कोई नामनिर्देशिती जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(iii) कुल–सचिव ;

(iv) संकायों के अध्यक्ष ;

(v) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(vi) शैक्षणिक मामलों के अध्यक्ष ;

(vii) महाविद्यालय अध्यक्ष ;

(viii) विभागों के अध्यक्ष ;

(ix) विश्वविद्यालय छात्रावास का मुख्य वार्डन ;

(x) कुलानुशासक;

(xi) परीक्षा नियन्त्रक, यदि कोई हो ;

(xii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष;

(xiii) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से एक प्रधानाचार्य, चक्रानुक्रम से, बशर्ते वह कार्य–परिषद् का सदस्य न हो; और

(xiv) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अवकाश प्राप्त आचार्य (आचार्यों)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त अवकाश प्राप्त अधिसदस्य (किन्तु मत देने अथवा चुनाव लड़ने के अधिकार के बिना)।

II. अन्य सदस्य –

(i) प्रत्येक विभाग से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(ii) प्रत्येक संकाय से एक विश्वविद्यालय उपाचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(iii) प्रत्येक संकाय से एक विश्वविद्यालय प्राध्यापक, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(iv) नीचे वर्णित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक में सम्मिलित महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में अपने पदों को धारण करने वाले क्रमशः प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला एक प्रधानाचार्य तथा तीन अध्यापकः–

(क) शिक्षण महाविद्यालयों से भिन्न राजकीय महाविद्यालय;

(ख) शिक्षण महाविद्यालय ;

(ग) कुलपति द्वारा सीमांकित किये जाने वाले चार जोनों में से प्रत्येक में शिक्षण महाविद्यालयों से भिन्न गैर–सरकारी महाविद्यालय :

परन्तु इस खंड के अधीन निर्वाचित एक से अधिक अध्यापक किसी एक महाविद्यालय से नहीं होगा ;

(v) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर के नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पांच शिक्षाविद् :

परन्तु उनमें से एक से अधिक उसी क्षेत्र से नहीं होगा ;

(vi) संसद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित तीन व्यक्ति; और

(vii) निर्वाचन की तिथि से शैक्षणिक वर्ष की 31 मई तक की अवधि के लिए गुरूग्राम विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन का अध्यक्ष तथा महाविद्यालयों में विद्यार्थी यूनियनों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित दो अध्यक्ष :

परन्तु इस उपखंड के अधीन आने वाले सदस्य बैठक में उस समय भाग नहीं लेंगे, जिस समय शिक्षा परिषद् परीक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही हो।

(2) कुल–सचिव शिक्षा परिषद् का सदस्य–सचिव होगा ।

(3) दो बटा पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(4) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, शिक्षा परिषद् के सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(5) निर्वाचन का ढंग मतपत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा और निर्वाचनों का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

शिक्षा परिषद् की शक्तियां।

**15.** (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षा पद्धतियों, शैक्षणिक स्तरों में अनुसंधान सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में निदेश देना;

(ख) या तो अपनी निजी प्रेरणा पर या कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् अथवा किसी संकाय के प्रतिनिर्देश से, सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;

(ग) कार्य परिषद् को अध्यापन पद सृजित करने तथा समाप्त करने की सिफारिश करना ;

(घ) संकायों की सिफारिशों पर विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्य–विवरण तथा पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन विहित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों, अनुशासन, निवास प्रवेश अध्येता–वृत्तियों, अध्ययन–वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने, फीसों की रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बनाना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा शिक्षा परिषद् को प्रदान की जायें या सौंपे जायें।

(2) पाठ्य–विवरण, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद् के सभी निर्णय, जहां तक वे परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित न हों, अंतिम होंगे ।

वित्त समिति का गठन ।

**16.** (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :–

I. पदेन सदस्य–

(क) कुलपति (अध्यक्ष ) ;

(ख) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती, जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(ग) सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती, जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ; और

(घ) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो निदेशक या संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

II. अन्य सदस्य–

(क) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले वित्त में निपुणता रखने वाला एक बाह्य सदस्य ; और

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो अध्यक्ष।

(2) कुल–सचिव समिति का सदस्य–सचिव होगा ।

(3) वित्त समिति का नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(4) तीन सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक सदस्य सरकार का नामनिर्देशिती होगा, से गणपूर्ति होगी ।

**17.** (1) वित्त समिति लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की छानबीन करेगी तथा कार्य परिषद् को वार्षिक बजट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। वित्त समिति जो विश्वविद्यालयों के संसाधनों तथा आय के आधार पर वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करेगी, के पूर्व अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा, बजट में से कोई खर्च उपगत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक विश्वविद्यालय द्वारा कोई खर्च उपगत नहीं किया जायेगा । वित्त समिति के कृत्य तथा शक्तियां।

(2) यह अध्यापन तथा अन्य पदों के सृजन की जांच करेगी तथा कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी।

(3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा शासकीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष उस पर उसके विचार तथा टिप्पणी के लिये रखे जायेंगे तथा उसके बाद कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ।

**18.** निम्नलिखित संकाय होंगे – विश्वविद्यालय के संकाय।

Annexure 1
Amended via Resolution no 04 of 10th EC dated 28.05.2020; approved by Hon'ble Chancellor letter no HRB-UA-38 (3)-2019/4470 DATED 27.07.2020

(1) मानविकी संकाय ;

(2) सामाजिक विज्ञान संकाय ;

(3) जीव विज्ञान संकाय ;

(4) शिक्षा संकाय ;

(5) वाणिज्य तथा प्रबंधन संकाय ;

(6) सूचना प्रौद्योगिकी संकाय ;

(7) ऐसे अन्य संकाय जिन्हें कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर परिनियमों द्वारा विहित कर सकती है ।

Annexure 2
Amended via Resolution no 12 of 21ST EC dated 17.02.2022; approved by Hon'ble Chancellor letter no HRB-UA-38(3)-2019/2612 DATED 28.03.2022
(5 FACULTIES OF THE UNIVERSITY)

**19.** (1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे – संकायों का गठन।

(i) संकाय का डीन (अध्यक्ष) ;

(ii) उस संकाय में सम्मिलित विभागों का अध्यक्ष ;

(iii) प्रत्येक विभाग से एक आचार्य वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(iv) संकाय में सम्मिलित विभागों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता–प्राप्त एक सह–आचार्य तथा एक सहायक आचार्य वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से ; और

(v) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ।

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, किसी संकाय के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) शैक्षणिक शाखा का प्रभारी जो सहायक कुल–सचिव से नीचे की पदवी का न हो, संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(4) प्रत्येक संकाय में सदस्यों के दो बटा पांच से गणपूर्ति होगी।

संकायों के अध्यक्ष। **20.** (1) प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष, संकाय में सम्मिलित विभिन्न विभागों के आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आचार्य अगली बार तब नियुक्त किया जायेगा जब संकाय के सभी आचार्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो चुके होंगे :

परन्तु यह और कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है, तो सम्बन्धित विभागों में सह–आचार्य में से अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

(2) अध्यक्ष, जो दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, के पद के साथ उपयुक्त पारिश्रमिक होगा ।

(3) अध्यक्ष, संकाय की बैठकें बुलाएगा तथा उनकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष, उनमें अध्यापन के समन्वय के लिये तथा संकाय के निर्णय के निष्पादन के लिये जिम्मेदार होगा ।

(5) अध्यक्ष को संकाय की समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसके विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा ।

संकायों की शक्तियां । **21.** शिक्षा परिषद् के नियन्त्रण के अध्यधीन, संकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

(क) संकाय को सौंपे गए विभागों में विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य में तालमेल लाना ;

(ख) अध्ययन बोर्डों से आवश्यक रिपोर्टों के बाद, विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षा परिषद् को पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा पाठ्य विवरणों की सिफारिश करना ;

(ग) विभागों से पद सृजित करने तथा समाप्त करने के लिये रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उन्हें शिक्षा परिषद् को ऐसी सिफारिशों के साथ भेजना जो वह युक्तियुक्त समझे ;

(घ) अध्यापन तथा परीक्षाओं के स्तरों की उन्नति के लिये स्कीमों के बारे में शिक्षा परिषद् से विचार–विमर्श करना तथा सुझाव देना ; और

(ड.) किसी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करना जो उसे शिक्षा परिषद् या कुलपति या संकायों के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

विभाग का अध्यक्ष। **22.** (1) प्रत्येक अध्यापन विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, चक्रानुक्रम से, नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु–

(क) यदि किसी विभाग में दो या अधिक आचार्य हों, तो अध्यक्षता केवल आचार्यों में से वरिष्ठता द्वारा चक्रानुक्रम से होगा :

परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आचार्य अगली बार तब नियुक्त किया जायेगा जब विभागों में सभी आचार्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके होंगे ;

(ख) यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य हो, तो अध्यक्षता, आचार्य तथा वरिष्ठतम उपाचार्य के बीच चक्रानुक्रम से होगी ;

(ग) यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो अध्यक्षता वरिष्ठतम दो सह–आचार्यों के बीच चक्रानुक्रम से होगी; और

(घ) कुलपति, यदि वह किसी प्रशासकीय कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह वरिष्ठता के सि्द्धांत में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा ।

(2) ऐसे विभाग की दशा में, जहां कोई अध्यापक ऐसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र न हो, जहां महाविद्यालयों में केवल पूर्व–स्नातक स्तर तक के लिये शिक्षा दी जाती है, संबंधित संकाय का अध्यक्ष ही उसका अध्यक्ष होगा ।

(3) यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति लम्बे अवकाश पर हो, तो अगला पात्र व्यक्ति विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा और वह अपनी समयावधि पूरी होने तक इस रूप में निरन्तर बना रहेगा, यद्यपि वरिष्ठ व्यक्ति उस अवधि के दौरान अवकाश से वापस भी आ जाये। तथापि, वरिष्ठ व्यक्ति, वर्तमान पदधारी की समयावधि की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(4) यदि विभाग का अध्यक्ष, बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक कुलपति अन्यथा आदेश न करे, पद के कर्तव्य अगले पात्र व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है या स्वेच्छा से त्याग–पत्र देता है, तो वह विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पात्र अध्यापकों में से चक्रानुक्रम से चक्र की समाप्ति के बाद उसकी बारी फिर से न आ जाये।

(6) यदि कुलपति, यह आवश्यक समझे, तो वह इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वर्तमान अध्यक्ष की समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अगले पात्र व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, उस दशा में वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा।

**23.** (1) अध्यापन पदों पर सभी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेंगी । नियुक्तियां।

(2) श्रेणी–क (अध्यापनेतर/तकनीकी) पदों पर नियुक्तियां, स्थापना/चयन समिति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा की जाएंगी ।

(3) (i) श्रेणी–ख पदों पर नियुक्तियां, नियमों अथवा आदेशों में अधिकथित सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कुलपति द्वारा की जाएंगी; और

(ii) श्रेणी–ग तथा घ कर्मचारियों के संबंध में दैनिक वेतन आधार पर नियुक्तियां, नियमों अथवा आदेशों में अधिकथित सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कुल–सचिव द्वारा की जाएंगी ।

(4) उपर्युक्त खण्ड (1), (2) और (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, जहां वह आवश्यक समझे, छह मास से अनधिक अवधि के लिये तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति कर सकता है, यदि नियमित नियुक्ति करना संभव अथवा वांछनीय न हो। जहां कार्य परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी हो, तो कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में सूचित किया जाएगा ।

**24.** (1) आचार्य/सह–आचार्य/सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :– चयन समिति।

(i) कुलपति ;

(ii) संकाय का अध्यक्ष ;

(iii) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ;

(iv) विभाग में वरिष्ठतम आचार्य सिवाय उसके जहां कुलपति द्वारा अन्यथा निर्णीत हो ;

(v) तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न रखते हों तथा जो उस विषय में जिससे आचार्य सम्बद्ध होगा, अपने विशेष ज्ञान, अथवा रूचि के आधार पर, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावली से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें :

परन्तु कुलपति विशेष परिस्थितयों में नामावली में अधिक नाम जोड़ सकता है और इन नामों की रिपोर्ट शिक्षा परिषद् को उसकी अगली बैठक में करेगा; और

(vi) कोई परिषत्सदस्य, जो कुलाधिपति का नामनिर्देशिती हो ।

Amended via Resolution no 05 of 25th EC held on 29.03.2023. Amendment in selection committee according to State Govt guidelines for minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff vide memo dated 11.11.2022

(2) परिनियमों में यथा उपबन्धित, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावलियां तथा कुलपति द्वारा उनमें किये गए परिवर्धन, यदि कोई हों, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परन्तु यदि चयन समिति में उपस्थित होने के निमन्त्रण को स्वीकार करने के बाद भी विशेषज्ञों में से कोई एक उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी यदि चयन समिति का कोई पदेन–सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असफल रहता है ।

(3) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कुल–सचिव उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। चयन समिति की बैठक कुलपति द्वारा, या उसके निर्देशों के अधीन बुलाई जायेगी ।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई नियुक्तियों के बारे में विचार करेगी और कार्य परिषद् को सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यदि कार्य परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगी और मामला कुलाधिपति को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत करेगी ।

(5) परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में आचार्य का पद ग्रहण करने के लिए उच्च शैक्षणिक विशेषता और वृतिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह उचित समझे और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को पद पर उसे नियुक्त करने के लिए आमन्त्रित कर सकती है।

स्थापना समिति।

**25.** स्थापना समिति का गठन अध्यादेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

शिक्षा तथा योजना बोर्ड का गठन और कृत्य।

**26.** (1) शिक्षा योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(क) कुलपति ;

(ख) शिक्षा में उच्च जानकारी रखने वाले सात से अन्धिक व्यक्ति, जो कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे ; और

(ग) कुल–सचिव बोर्ड का सचिव होगा।

(2) बोर्ड की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, कार्यरूप दिया जायेगा ।

(3) यह विश्वविद्यालय में विशेषकर शिक्षा और अनुसंधान के स्तरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर परामर्श देगा।

दीक्षान्त समारोह।

**27.** उपाधियां प्रदान करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति में आयोजित किया जायेगा, जो कार्य परिषद् द्वारा, समय–समय पर, अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये:

परन्तु सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन रहते हुए होगा ।

विभाग।

**28.** विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से सृजित विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग होंगे ।

संकायों को अध्ययन विभाग का समनुदेशन।

**29.** कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् द्वारा अध्ययन विभाग विभिन्न संकायों को समनुदेशित किये जायेंगे ।

अध्ययन बोर्ड।

**30.** (1) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग में, दो अध्ययन बोर्ड होंगे, एक पूर्व–स्नातक अध्ययन के लिये और दूसरा अध्ययन बोर्ड स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये होगा।

(2) पूर्व–स्नातक अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) विभाग का अध्यक्ष ;

(ii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक आचार्य ;

(iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक सह–आचार्य तथा एक सहायक आचार्य :

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यापक दो क्रमिक अवधियों के लिये नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अध्यापक, जो संकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, इस उप–खण्ड के अधीन नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ;

(iv) महाविद्यालयों से, सम्बन्ध विषय में पूर्व–स्नातक अध्यापन अनुभव काल द्वारा अवधारित की जाने वाली वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पूर्व–स्नातक पाठ्यक्रमों के छह अध्यापक (जिनमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं) किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक महाविद्यालय से एक से अधिक ऐसा सदस्य न हो ; और

(v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप–खण्ड (iv) के अधीन, पूर्व–स्नातक अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) विभाग का अध्यक्ष ;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी आचार्य ;

(iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त दो सह–आचार्य और दो सहायक आचार्य ;

(iv) स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव काल द्वारा अवधारित की जाने वाली वरिष्ठता के अनुसार, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सम्बद्ध विषय में कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित जिसमें से पांच वर्ष का स्नातकोत्तर उपाधि अध्यापक के रुप में होगा, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों सहित दो अध्यापक :

परन्तु यदि स्नातकोत्तर विभागों वाले महाविद्यालयों की संख्या छह से अधिक हो, तो संबंधित विषय का एक और अध्यापक नामनिर्दिष्ट किया जायेगा किंतु एक ही महाविद्यालय से एक से अधिक ऐसा सदस्य नहीं होगा ; और

(v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप–खण्ड (iv) के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है ।

(4) (i) पूर्व–स्नातक अध्ययन बोर्ड, सम्बद्ध संकाय के माध्यम से पूर्व–स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न विषयों हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये शिक्षा परिषद् को सिफारिश करेगा और स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड, स्नातकोत्तर कक्षाओं और अनुसंधान उपाधियों के लिये पाठ्यक्रमों के संबंध में ऐसी सिफारिशें करेगा ;

(ii) अध्ययन बोर्ड, पूर्व–स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्राश्निकों तथा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा परिषद् को सिफारिश भी करेगा ; और

(iii) अध्ययन बोर्ड ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में भी कार्यवाही करेगा जो उन्हें संकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। विभाग का अध्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष होगा। पदेन–सदस्यों से भिन्न सदस्य दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसकी पुस्तक या कोई अन्य प्रकाशन बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हो, बोर्ड से आसक्त नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से तुच्छ नोट, गाईडें या सहायक पुस्तकें प्रकाशित करने में सम्मिलित हो, तो वह अध्ययन बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

उपाधि/ उपाधि– पत्र इत्यादि की वापसी ।

**31.** विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस ली जा सकती हैं :–

(क) यदि सम्बन्धित व्यक्ति की उम्मीदवारी, अध्यादेश द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार रद्द कर दी गई हो या परीक्षाफल रद्द कर दिया गया हो ; अथवा

(ख) यदि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दुर्व्यवहार किया हो :

परन्तु इस प्रश्न का अंतिम रूप से निर्णय कुलपति द्वारा किया जायेगा कि किसी व्यक्ति ने इस परिनियम के अनुसार दुर्व्यवहार किया है ; अथवा

(ग) जब शिक्षा परिषद् के समक्ष यह दर्शाते हुये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या उपाधि–पत्र इत्यादि प्रदान किया गया था, ऐसे अपराध का सिद्धदोष हो गया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी उपाधि या उपाधि–पत्र को रद्द कर दिया जाये।

अध्यापकों का अनुमोदन, मान्यता की वापसी।

**32.** विश्वविद्यालय द्वारा किसी अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ली जा सकती है –

(क) यदि अध्यापक अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है ; अथवा

(ख) यदि कार्य परिषद् के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यापक ने ऐसा कार्य किया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो कार्य परिषद् अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ले सकती है।

उपदान, अनुग्रह–अनुदान इत्यादि।

**33.** विश्वविद्यालय, सरकार के पैटर्न पर अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये उपदान, अनुग्रह–अनुदान इत्यादि उपलब्ध करवायेगा।

अध्येता–वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार ।

**34.** प्रदान की जाने वाली अध्येता–वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की संख्या तथा मूल्य कार्य परिषद् द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या शिक्षा परिषद् या वित्त समिति की सिफारिशों पर अवधारित किया जायेगा ।

सदस्यता की समयावधि की परिसीमा ।

**35.** (1) इन परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य अथवा किसी नियुक्ति विशेष के धारक की हैसियत में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक उस विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति विशेष का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का ऐसा अध्यापक–सदस्य जो अपनी सेवा से त्याग–पत्र दे देता है अथवा छह मास अथवा इससे अधिक के लिये छुट्टी पर चला जाता है, तो वह सम्बद्ध निकाय का सदस्य नहीं रहेगा और कोई स्थानापन्न नियुक्त किया जायेगा। यदि उसकी छुट्टी की अवधि छह मास से कम हो, तो उसकी सदस्यता छुट्टी से वापसी तक अथवा छह मास की अवधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी बाद में हो, स्थगित रखी जायेगी । जहां सदस्यता स्थगित रखी जाती है, वहां कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि कोई अध्यापक छह मास अथवा इससे अधिक की अवधि के लिये छुट्टी पर हो, तो वह उस विशेष रिक्ति के लिये नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा। तथापि, वह ऐसी रिक्ति पर, जो छुट्टी से उसके लौटने के बाद उत्पन्न हो, नामनिर्देशन या निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

सदस्यता इत्यादि की समाप्ति ।

**36.** इन परिनियमों अथवा अध्यादेशों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है अथवा जो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था से अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था से कदाचार के कारण पदच्युत कर दिया गया है, तो इस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति का सदस्य बनने, या बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा। निलम्बन के अधीन किसी व्यक्ति को उसके निलम्बन की अवधि के दौरान उपर्युक्त प्राधिकरणों या समितियों की किसी बैठक में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यता के लिये निरर्हता ।

**37.** यदि कोई व्यक्ति शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के संबंध में उसकी ओर से किये गये किसी प्रकार के अनाचार के कारण विश्वविद्यालय के किसी कार्य से विवर्जित कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अपवर्जन रहने तक, विश्वविद्यालय के किसी निकाय या प्राधिकरण का सदस्य बनने, अथवा बने रहने के लिये निरर्हित रहेगा ।

प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

**38.** (1) विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कुलपति तथा संबंधित उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें कार्य परिषद् अध्यादेशों, नियमों, विनियमों अथवा उसके द्वारा अंगीकृत संकल्पों द्वारा प्रत्यायोजित करे ।

(2) कुलपति या कुल–सचिव, कुलाधिपति के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शक्तियां जो वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकता है जो उनमें परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निहित की गई हैं ।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55622—L.R.—H.G.P., Chd.